PAG-614
20/2/18

981
29.1.18

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर

1171
- 7 FEB 2018

विषयः नवीन मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध जिला चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा घोषणा–पत्र (DECLARATION FORM) नहीं भरने के संबन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गये है, जिसके क्रम में मंत्रीमंडल की आज्ञा संख्या 34/2017 दिनांक 24.02.2017 से इनका संचालन राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के माध्यम से किया जाना है। इस निर्णय के फलस्वरूप आप द्वारा अपने आदेश संख्या प.1(1)चिस्वा/ /2018 दिनांक 17.02.2017 के द्वारा इन जिला व रेफरल चिकित्सालयों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन नवीन मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्व कर दिया गया है। साथ ही मंत्रीमंडल की आज्ञा के अनुसरण में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 18.04.2017 से विभिन्न बिन्दूओं पर प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। इस आदेश के बिन्दु संख्या 4 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इन जिला चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ मय–चिकित्सक, पैरा मेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य स्टाफ की सेवाऐं सोसायटी को प्रतिनियुक्ति पर दी जावेगी परन्तु उनकी सेवाऐ आर.एस.आर. सेवानियमों के तहत राज्य सेवक के रूप में बनी रहेंगी। इसके बावजूद चिकित्सालयों में पूर्व से जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक कार्यरत है, उनके द्वारा घोषणा–पत्र (DECLARATION FORM) भरकर नही दिया जा रहा है।

इस संबन्ध में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव के पत्रांक 1557 दिनांक 13.12.17 एवं पत्रांक 06 दिनांक 18.12.17 से अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को Declaration form का प्रारूप संलग्न कर संबन्धित को निर्देशित करने के लिए लिखा गया था एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के पत्र संख्या प.1(79/डीएमई/संस्था–राजमेस/2017/61 दिनांक 02.01.2018 के द्वारा सभी प्रधानाचार्यो के माध्यम से निर्देशित किया गया था, किन्तु विभिन्न प्रधानाचार्य, नवीन मेडिकल कॉलेज ने अवगत कराया है कि संलग्न जिला चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा Declaration form भरने से मना कर दिया है/भर नहीं रहें है।

उल्लेखनीय होगा कि उक्त नवीन मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रारम्भ किए जाने प्रस्तावित है। प्रायः सभी कॉलेजों का एम.सी.आई. द्वारा प्रथम निरीक्षण किया जा चुका है एवं उनके पत्रांक MCI-34(41)(E-50/2017-Med./165975 दिनांक 06.01.18 से एक माह के अन्दर deficiencies की पालना चाही गई है।

नवीन मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों पर भरसक प्रयास के बावजूद फैकल्टी उपलब्ध नही हो पा रहा है अतः एम.सी.आई. निरीक्षण की अनुपालना हेतु आपसे अनुरोध है कि नवीन मेडिकल कॉलेज स्तर पर जिला चिकित्सालयों में पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को निर्देशित करावे कि वे तत्काल DECLARATION FORM भरकर नवीन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को उपलब्ध करावें ताकि एम.सी.आई. नॉर्म्स के अनुसार फेकल्टी की आपूर्ति होकर निर्धारित अवधि में एम.सी.आई. को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

अति.मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अ.शा.टीप क्रमांकः प.( )राजमेस/2018/124
दिनांक 16/01/18

for NIA
ममता
2/2/18

SO/ AS
DMHS(PH)

2/2

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित / सामान्य / प–26 / 2018 / 129 दिनांक : 28/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर को उनके अ0शा0 पत्र कमांक प.( )राजमेस / 2018 / 124 दिनांक 16.01.2018 के क्रम में।

2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी डायरी संख्या 89 दिनांक 02.02.2018 के क्रम में।

3 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज / समबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान / R.F.P.T.C. जयपुर, अजमेर / K.N.T.B.D.C. अजमेर।

4 निदेशक, ई.एस.आई. / भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

5 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर / भरतपुर / कोटा / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / अजमेर।

6 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।

7 समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय निवारण केन्द्र राजस्थान।

8 समस्त डींलिग सीट, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।

9 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही संबंधित अधिकारियों की ई–मेल आईडी तथा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

10 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।